फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

सरकार बनाम छिन्द्रसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा :– 136 एल0आर0ए0 प्रकरण संख्या :– 12/2020

GCMS:- 2020/00033

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। तहसीलदार सूरतगढ़ ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थीगण के नाम तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 41 पीबीएन के खाता संख्या 48/49 प0न0 76/378 (45) के कि0न0 1–2–3–4–5/1.265 है0 नाली दोयम मय खाला रास्ता, 7 ता 14/2.024 है0 नाली दोयम, 16/0.253 है0 नाली दोयम मय रास्ता, 17 ता 24/2.024 है0 नाली दोयम, 25/0.253 है0 नाली दोयम रास्ता कुल 5.815 है0 नाली दोयम खाला रास्ता एवं चक 14 एसएलडी के खाता संख्या 1 के प0न0 76/379 (2) के कि0न0 5/0.253 है0 भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खााता की भूमि वाके चक 441 पीबीएन व 14 एसएलडी के खाता सं. 48/49 में 5.815 है0 नाली दोयम मय खाला रास्ता व 1 में 0.253 है0 भूमि खातेदारी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की 3.139 है0 भूमि ब0हि0बराबर व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की 2.929 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थीगण को जरिये विनिमय पत्र द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। जिसके मुताबिक अप्रार्थीगण द्वारा विनिमय पत्र में 6.068 है0 रकबा का विनिमय किया गया। अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ चक 41 पीबीएन के खाता संख्या 48/49 में 5.815 है0 नाली दोयम मय रास्ता में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की 3.139 है0 भूमि ब.हि.बराबर व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की 2.929 है0 खातेदारी भूमि एवं चक 14 एसएलडी के खाता सं. 1 के प0नं0 76/379 (2) के कि0न0 5/0.253 है0 भूमि में अप्रार्थी सं. 1 व 2/3.139 है0 भूमि ब.हि.बराबर व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की 2.929 है0 खातेदारी भूमि सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता की भूमि में वाके चक 41 पीबीएन खाता सं. 48/49 में कुल 5.815 है0 में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम 3.139 है0 के स्थान पर 3.006 है0 व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के नाम 2.929 है0 के स्थान पर 2.809 है0 दर्ज तथा चक 14 एसएलडी के खाता सं. 1 में 0.253 है0 में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम 3.139 है0 के स्थान पर 0.133 है0 व अप्रार्थी–3 ता 5 के नाम 2.929 है0 के स्थान पर 0.120 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाना चाहिए था जबकि सहवन/त्रुटिपूर्ण चक 41 पीबीएन व चक 14 एसएलडी दोनो चकों के खातों में अप्रार्थीगण के नाम पूर्ण रकबा दर्ज हो गया। तहसील स्तर पर सेग्रीग्रेशन व डीआईएलआरएमपी की कार्यवाही के दौरान खातों का मिलान करते समय उक्त जैरवाद खाता अपवादित पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 41 पीबीएन के खाता संख्या 48/49 में कुल 5.815 है0 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम 3.139 है0 में 0.133 है0 व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के नाम 2.929 है0 में 0.120 है0 कलमजन एवं चक 14 एसएलडी के खाता संख्या 1 में 0.253 है0 में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम 3.139 है0 में से 3.006 है0 कलमजन व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के नाम 2.929 है0 में से 2.809 है0 कलमजन किया जावे। पत्रावली प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 5 की ओर से वकील श्री राजवीर भादू ने उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।	2456

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:22:50 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

सरकार बनाम छिन्द्रसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा :– 136 एल0आर0ए0 **प्रकरण संख्या :– 12/2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2020	बहस उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम चक 41 पी.बी.एन. के खाता संख्या 48/49 में 3.006 है0 व चक 14 एसएलडी के खाता संख्या 1/0.133 है0 व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के नाम चक 41 पीबीएन के खाता संख्या 48/49 में 2.809 है0 व चक 14 एसएलडी के खाता संख्या 1/0.120 है0 रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। रहन का नोट सम्बन्धित काश्तकार के पक्ष में पूर्ववत रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज0)	2456 6379 15/09/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:22:50 IST
Reason: SelfAttested